# फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

छीतरमल **बनाम** बोदूराम

संख्या /वर्ष : 6 /2021

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 3/11/2022 | पत्रावली प्रस्तुत। व० फ० उप०। सभी पक्षकारान उपस्थित। पूर्व में सभी पक्षकारान ने मुताबिक तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। अत: वाद वादी मुताबिक कुर्राजात रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>सहायक कलक्टर<br>आमेर मु० जयपुर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:00 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 6/2021 वाद प्रस्तुति दिनांक – 08.01.2021

छीतरमल पुत्र स्व0 श्री गणेशराम जाति जाट निवासी ग्राम बिहारीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

......... वादी

बनाम

1. बोदूराम पुत्र स्व0 श्री गणेशराम
2. लालाराम पुत्र स्व0 श्री गणेशराम
3. सूण्डाराम पुत्र स्व0 गणेशराम
4. सूरजमल पुत्र स्व0 गणेशराम समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा चौंमू, जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय, आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा – 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री बनवारी लाल शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से

(2) श्री मोहन लाल जाट – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से।

दिनाँकः– 03.11.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:00 IST
Reason: SelfAttested

## निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी हाल खाता सं. 60 के खसरा नम्बर 442 रकबा 3.24 हैक्टेयर खसरा नम्बर 459 रकबा 2.30 हैक्टेयर कुल किता 2 का रकबा 5.54 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा निहित है।

वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि विवादग्रस्त खाता संख्या 60 मे स्थित कृषि भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा राजस्व अभिलेख मे अंकित चला आ रहा है। तथा

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ही सभी पक्षकारान काबिज काश्त रहकर उपयोग उपभोग कर लाभ उठाते चले आ रहे है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी भूमि है तथा उक्त भूमि का अभी तक विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। राजस्व लगान भी वादी एवं प्रतिवादीगण शामलाती में ही जमा कराते आ रहे है।

प्रतिवादी संख्या 4 व अन्य प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ भू–भाग को विक्रय कर भूमि स्वरूप को परिवर्तित करना चा रहे है। जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी प्रस्तुत करना लाजमी हुआ।

अतः वादी द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी का बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर विभाजन करवा कर अपने हिस्से की भूमि 6/2021 दावा छीतरमल बनाम बोदूराम वगै0 2 का अलग पर्चा जारी करावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे।

प्रतिवादीगण की विधिवत तलवी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति व्यक्त करने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति में वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार आमेर को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। प्रविवादी संख्या 4 के अधिवक्ता व स्वयं प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने पर विधिवत् दिनांक 21.10.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 स्वयं उपस्थित होकर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किये जाने हेतु पुनः निवेदन किया है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:00 IST
Reason: SelfAttested

1. छीतरमल पुत्र गणेशराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा चौमू के हिस्से में खसरा नम्बर 442/1 रकबा 1.0880 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.0880 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
2. सुरजमल पुत्र गणेशराम जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा चौमू के हिस्से में खसरा नम्बर 442/2 रकबा 1.0875 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.0875 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैगनी रंग से दर्शाया गया है।

सहायक कलक्टर
आमेर जि. जयपुर

3. सुण्डाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा चौमू के हिस्से में खसरा नम्बर 442/3 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 442/5 रकबा 0.2840 हैक्टेयर खसरा नम्बर 459/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर खसरा नम्बर 459/4 रकबा 0.0052 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.0892 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

4. लालाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा चौमू खसरा नम्बर 459/2 रकबा 1.0806 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.0806 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

5. बोदूराम पुत्र गणेशराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एस बी आई चौंमू मुर्तहीन खसरा नंबर 459/5 रकबा 1.0788 हैक्टेयर, खसरा नंबर 442/6 रकबा 0.0017 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.0805 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।

6. छीतरमल, सूरजमल, सूण्डाराम, लालाराम, बोदूराम पि. गणेशराम जाति जाट हिस्सा बराबर सा. देह खातेदार राहिन एस बी आई शाखा चौंमू मुर्तहिन खसरा नंबर 442/2 रकबा 0.0488 हैक्टेयर, खसरा नंबर 459/3 रकबा 0.0654 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.1142 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे नक्शे में क्रमशः बैंगनी व स्लेटी रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। ।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 03.11.2022 को जारी किया ।

दस्तखत ---
ओहदा ---

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:00 IST
Reason: SelfAttested

| मुददई | रूपये | पैसे | [illegible] | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | | [illegible] | 2 रूपये | |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | | [illegible] | 2 रूपये | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महन्ताना वकील | | | महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बबत् इजराय हुक्मानामा | 4 रूपये | | बबत् इजराय हुक्मानामा | 4 रूपये | |
| मुतफरित | | | मुतफरित | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

प्रकरण संख्या – 6/2021
बउनवानी – छीतरमल बनाम बोदूराम वगै0
निर्णय दिनांक – 03.11.2022

# अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर**

पीठासीन अधिकारी **सुनील शर्मा (आर.ए.एस)**

नियमित वाद संख्या 6/2021

निर्णय दिनांक 03.11.2022

छीतरमल पुत्र स्व0 श्री गणेशराम जाति जाट निवासी ग्राम बिहारीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

........ वादी

बनाम

1. बोदूराम पुत्र स्व0 श्री गणेशराम
2. लालाराम पुत्र स्व0 श्री गणेशराम
3. सूण्डाराम पुत्र स्व0 गणेशराम
4. सूरजमल पुत्र स्व0 गणेशराम समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा चौंमू, जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय, आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

**<u>वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>**

**<u>अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट – 1955</u>**

निर्णय दिनांक 03.11.2022

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता हैः–

1. छीतरमल पुत्र गणेशराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा चौमू के हिस्से में खसरा नम्बर 442/1 रकबा 1.0880 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.0880 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
2. सुरजमल पुत्र गणेशराम जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा चौमू के हिस्से में खसरा नम्बर 442/2 रकबा 1.0875 हैक्टेयर [illegible] किता 1 कुल रकबा 1.0875 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में [illegible] से दर्शाया गया है।
3. सुण्डाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा चौमू के हिस्से में खसरा नम्बर 442/3 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 442/5 रकबा 0.2840 हैक्टेयर खसरा नम्बर 459/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर खसरा नम्बर 459/4 रकबा 0.0052 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.0892 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

लालाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा चौमू खसरा नम्बर 459/2 रकबा 1.0806 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.0806 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

5. बोदूराम पुत्र गणेशराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन एस बी आई चौंमू मुर्तहीन खसरा नंबर 459/5 रकबा 1.0788 हैक्टेयर, खसरा नंबर 442/6 रकबा 0.0017 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.0805 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।

6. छीतरमल, सूरजमल, सूण्डाराम, लालाराम, बोदूराम पि. गणेशराम जाति जाट हिस्सा बराबर सा. देह खातेदार राहिन एस बी आई शाखा चौमू मुर्तहिन खसरा नंबर 442/2 रकबा 0.0488 हैक्टेयर, खसरा नंबर 459/3 रकबा 0.0654 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.1142 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे नक्शे में क्रमशः बैंगनी व स्लेटी रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 03.11.2022 को जारी किया।

दस्तखत ---

ओहदा ---

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

| मुददई | रूपये | पैसे | मुददायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | – | स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | – |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | | स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महन्ताना वकील | | | महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बबत् इजराय हुक्मानामा | 4 रूपये | | बबत् इजराय हुक्मानामा | [illegible] रूपये | |
| मुतफरित | | | मुतफरित | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:00 IST
Reason: SelfAttested